I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB GURGAON **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0042 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 28/11/2022 12:43 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/11/2022 **Time (समय):** 08:35 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date and Time (दिनांक और समय):** 28/11/2022 12:13 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 5 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): सैक्टर -55-56 गुरुग्राम,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** PANKHURI KUMAR

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 15/08/1985 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Ambala, AMBALA CITY, AMBALA, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Ambala, AMBALA CITY, AMBALA, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9729990102

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्री संजय दलाल			1. 32/27,ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली,EAST,DELHI,INDIA
2	श्रीमति सीमा गोयल			1. 842/18,शान्ति नगर गुरुग्राम,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
3	श्री वशिष्ट गोयल			1. 842/18,शान्ति नगर गुरुग्राम,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
4	श्री अमित कुमार			1. 842/18,शान्ति नगर गुरुग्राम,GURUGRAM,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, राज्य चैकसी ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल,गुरूग्राम । विषयः- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 12 दिनांक 25.11.2019/गुरूग्राम मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के कार्यालय पत्र क्रमांक 07/20/2019-1 चौ:(2) दिनांक 22.11.2019 व महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के कार्यालय के पृष्ट क्रमांक 18440/गुप्त/रा0चौ0ब्यूरौ0(ह0) दिनांक 25.11.2019 के अनुसार गुप्त रिपोर्ट अधिकारी/कर्मचारियो शहरी विकास प्राधिकरण गुरूग्राम के विरूद् दर्ज हुई थी।

जांच में आरोप थे कि न्यू सप्रिंग डेल स्कूल को सैक्टर-55/56 गुरुग्राम में 1.5 एकड भूमि नियमों के विरूद् भ्रष्टाचार करते हुए HSVP को अनुचित हानि पहुचाते हुये पुराने दर पर पुन आवंटित कर दी गई।

जांच की पडताल के दौरान पाया गया है कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 1989 में गुडगांवा में प्राईमरी स्कूल स्थापित करने के लिए दैनिक ट्रिब्यून अखबार मे विज्ञापन जारी किया गया था। जिसके लिए श्रीमति वीना मलिक R/o House No. 2009, Sector 15 C, Chandigarh ने प्रशासक हुडा गुडगांवा को Alotment of plot on lease hold basis for establishing “ Primary School” in urban Estate, Gurugram को आवेदन किया। जिसमें Shri D.D. Malik- President, Shri C.L Malhotra- Vice President, Shri Sudhir Malhotra- Secretary, Mrs. Sroj Bhushan Mrs. Veena Malik- Managing Members and Mrs. Veen Malik-Principal of School बनाये गये। दिनांक 26.03.1992 को श्रीमति वीना मलिक द्वारा स्कूल साईट के लिए 1 एकड जमीन प्राप्त करने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र दिया। प्रशासक हुडा गुरूग्राम द्वारा Allotment of School site क्रमांक 6119 दिनांक 19-08-1992 को Smt. Veena Malik, New Spring Dale Public School, 2009 Sector 15 C, Chandigarh के नाम जारी किया गया। मुख्य प्रशासक हुडा चण्दीगढ द्वारा दिनांक 24.09.1993 को 29 रूपये/ गज के हिसाब से मुबलिग 1,40,759/ रूपये 99 साल के पटटे पर अलॉट की गई। सम्पदा अधिकारी गुडगावा द्वारा पत्र क्रमांक A-Institution 93/10233/291 दिनांक 23-11-1993 को Principal, New Spring Dale Public School, 56, Navjivan Vihar, New Delhi को 1 एकड की जगह गलती से (Clerical Mistake) 1-5 एकड स्कूल साईट मुबलिग 2,11,138.50/- रूपये का पत्र जारी कर दिया गया। श्रीमति वीना

मलिक द्वारा दिनांक 08.02.1994 को स्कूल साईट की कुल कीमत की 25 प्रतिशत राशी मुबलिग 52,785/ रूपये हुडडा विभाग में जमा कराये गये। हुडडा विभाग की स्कूल नीति में दिये गये नियमों व शर्तो में दिये हुये पहरा नं0 1 के अनुसार (1) Offer Shall be made on the basis of the letter of intent for a period of 6 months in which the institution will have to get the building paln approved basides arranging funds for construction. After that regular allotment will be made. (ii) In case the land is not utilized for the purpose for which it is allotted , it will revert back to HUDA alongwith the construction made thereon. (iii) The transfer of plots will not be allowed under any circumstances. (iv) The Educationsal Socities/Institutions/trusts will have to reserve 10% seats in the school for students belonging to economically weaker sections of the society and the same fees will be charged from such students as is charged by the Govt. School. Futher 10% seats in the school will have to be reserved for those students in respect of whom fees will be determined on the basis of means and merits of individual case. (v) The Management Committee of the school shall have one representative of HUDA as its member. अलॉटी द्वारा हुडा विभाग द्वारा दिये गये नियमों व शर्तो की पालना नही की गई तथा अलॉटी द्वारा 25 प्रतिशत राशी मुबलिग 52,785/रूपये के अलावा कोई राशी हुडा विभाग में जमा नही कराई गई है। सम्पदा अधिकारी, गुडगावा द्वारा पत्र क्रमांक A-Instt.-417/2013/16447 दिनांक 08-09-2003 Principal, New Spring Dale Public School, 36, Navjivan Vihar, New Delhi को withdrawal of letter of intent of primary School Site No. 1, Sector 55-56 Gurugram जारी किया गया। श्री संजय दलाल पुत्र श्री जे0 एस दलाल द्वारा New Spring Dale Public School 36 Navjivan Vihar, New Delhi के लैटर हैड पर दिनांक 14-11-2003 को सम्पदा अधिकारी, हुडा गुडगांवा को Request for the possession of Site No. 1, Sector 55-56 Gurugram के खाली पोजेशन सर्टिफिकेट पर श्रीमति वीना मलिक ने अपने नाम के किये हुए हस्ताक्षर को स्वंय द्वारा किये जाने बारे मना किया है तथा अपने कथन व शपथ पत्र में यह अंकित किया है कि उसके द्वारा New Spring Dale Public School, Sector 55-56 Gurugram का पोजेशन लेने के लिए किसी भी कार्यालय, न्यायालय, उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नही की है। श्री संजय दलाल ने फर्जी तरीके से Secretary, New Spring Dale Education Society, Panchkula, Haryana की तरफ से दिनांक 21.02.2004 को प्रशासक हुडा, गुडगावा को अपील Request for review of withdrawal of letter of intent of primary School Site No. 1, Sector 55-56 Gurugram for construction of Primary School vide office memo No. 10233 of dated 23-11-1993 दायर की गई। जबकि श्री संजय दलाल स्कूल स्थल से सम्बंधित सोसायटी का सदस्य फर्जी कागजात तैयार करके बना हुआ है। प्रषासक हुडा, गुडगांवा द्वारा दिनांक 04.05.2004 को सुनवाई करते हुए आदेश किये कि "The appellant failed to complete the pre-requisite condition of PLA, so the Estate Officer, HUDA Gurugaon was having no other option except to withdraw the letter of intent. The appellant was not serious to complete the conditions of PLA even within a period or 11 years. There are no reason to interfere with well reasoned order, withdrawal order issued by the Estate Officer, HUDA, Gurugaon which is in accordance with the term conditions of PLA. Administrators have been authorized to exercise the powers of Chief Administrator, HUDA Under Section 17 (v) of HUDA Act 1977 to hear and decide appeal cases against the order of Estate Officer, HUDA passed under section 17 of HUDA Act, 1977. Since no orders in this case have been passed by the Estate Officer under this section, the appeal cannot be considered by the undersigned and the same is hereby cancelled. इस प्रकार उक्त अपील रदद कर दी गई। इसके उपरान्त श्री संजय दलाल ने फर्जी तरीके से Secretary, New Spring Dale Education Society Panchkula Haryana की तरफ से Finance Commissioner Secretary to Govt of Haryanan, Town and Country Planning विभाग चण्डीगढ के सम्मुख Revision Petition दायर की गई A Shri D.S Dhesi, IAS Finance Commissioner Secretary to Govt of Haryana, Town and Country Planning, Chandigarh ने दिनांक 08.08.2007 को सुनवाई करते हुये आदेश किये कि "This Revision Petition has been Filed by New Spring Dale/School through Sh. Sanjay, Secretry for setting aside the order of withdrawal of PLA passed by the Estate Officer, HUDA, Gurugaon on 08-09-2003 and order of dismissal of appeal by Administrator, HUDA Gurgaon on 03-05-2004. Revision petition was fixed for hearing today i.e. 08-08-2007 in my office . the petitioner failed to appear in spite of notice issued by the office vide memo No. ADA-1-07/946-947 Dated 11-07-2007. In the circumstances, I have no alternative except to dismiss the revision petition without going into merits of the case. I order accordingly, Convey to the parties." इस प्रकार petitioner श्री संजय दलाल के हाजिर ना होने पर Revision Petition रदद कर दी गई। इसके उपरान्त संजय दलाल ने पुनः फर्जी तरीके से Secretary, New Spring Dale Education Society, Panchkula, Haryana की तरफ से Shri D.S Dhesi, IAS Finance Commissioner Secreatary to Govt of Haryana, Town and Country Planning विभाग चण्डीगढ के सम्मुख Revision Petition दायर की गई। Finance Commissioner Secretary to Govt of Haryana, town and Country Palnning, Chandigarh द्वारा दिनांक 19.12.2008 को सुनवाई करते हुये आदेश किये कि "The Main point raised by the petitioner is that even though he had been reputedly writing to HUDA to give possession of the HUDA has failed to do so. Petitioner has referred to certin letters dated 27-06-1994 11-04-1998 which have been sent by him to HUDA. However, a perusal of the allottee file reveals that no such letters were sent. The second popint raised by the petitioner is that where as the site advertised was of 1.5 acres, the site of only 1.2 acres was actually available and there was litigation regarding the same. In this regard also there is nothing on record to prove that there was any litigation. It is a different matter that the size of this plot is 1.2 acres instead of 1.5 acres. It is very significant to note that where as the allotment letter was issued in 1993, the resumption order has been passed only in 2003. A period of 10 year was more than sufficient for the petitioner to submit his grievance, If any, to any, to the Eo, HUDA, Gurugaon for resolution. Apparently the petitioner was also lying low for 10 years and did not take any steps that a person of normal prudence would take to protact his own interest. Therefore, I find no reason too disagree with finding given by the Administrator, HUDA Gurgaon that the peritioner has failed to complete the pre requisite condition of PLA, Leaving the EO, HUDA, Gurgaon with no other option except to withdraw the letter of intent. Therefore, the Revision Petition dismissed being devoid of merit. Order had been reserved in the case after conclusion of agrguments. The same is being pronounced today . May be conveyed to the parties" इस प्रकार Revision Peition को Dismiss करने के आदेश किये गये। उक्त आदेशो के विरूद् श्रीमति सीमा गोयल द्वारा बतौर General Secretary, New Spring Dale Public School us CWP No. 17614 of 2009 v/s State of Haryana Others के विरूद् माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंव हरियाणा चण्डीगढ में दायर की जबकि इस समय श्रीमति सीमा गोयल New Spring Dale Public School की फर्जी कागजात तैयार करके सदस्य बनी हुई थी। जिसका जवाब सम्पदा अधिकारी-2, हुडा गुडगावा द्वारा माह फरवरी 2010 में माननीय उच्च न्यायालय में दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.02.2012 को आदेश दिये कि Parties through their counsel are directed to appear before the learned Financial Commissioner on 16-04-2012. We hope that the learned Financial Commissioner shell be able to take expeditious decision preferably with a period of six months. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशो की सुनवाई Shri P.Raghvendra Rao, Addl. Chief Secretary to Govt. of Haryana, Town and Country Panning and Uran Estate द्वारा करते हुए दिनांक 04.08.2015 को आदेश किये कि The Estate Officer is directed to issue allotment letter in the favour of petitioner for the site measuring one acre which actually exist on site, as is clear from his report dated 20-05-2014. The Estate Officer is directed to convey to this peritioner, within one month from today, about all the requisite formalties to be completed by him, which he would complete within two months from the date of communication by the Estate Officer. The Estate Officer may demand simple interest @ 9% p.a. on all the outstanding dues, if any, from the petitioner from the date of provisional allotment i.e. from 10-01-1994 as the payment of dues had nothing to do with the offer of possession. However, the dues be calculated keeping in mind the site measuring one acre from the very beginning. इसके पश्चात श्री विनीत सहगल एडवोकेट द्वारा Legal Notice for possession of site originally measuring 1.5 acres in respect of new Spring Dale Public school Site No. 1, Sector 55-56 Gurgaon द्वारा Addl. Chief Secreatary cum Financial Commissioner, Department of town County Planning, Chief Administrator, HUDA, Panchkula and Administrator, HUDA Sector-14 Gurgaon के नाम दिनांक 12.07.2016 को दिया गया। इसके उपरान्त Shri Arun Kumar Gupta, IAS, Principal Secretary to Govt. of Haryana, Town Country Planning,

Department, Chandigarh द्वारा उपरोक्त Legal Notice की सुनवाई करते हुए दिनांक 16.05.2018 को आदेश पारित किये कि Therefore, considering the entire facts and circumstances fo ths case, I do not find any merit in the legal notice dated 12-07-2016 (P-6). The legal notice dated 12-07-2016 is hereby rejected. श्रीमति सीमा गोयल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक CWP No. 14978/18 बतौर सैक्रैटरी PSTCP के आदेश के खिलाफ दायर की जिसमें हाई कोर्ट ने Interfare नही करने बारे आदेश किये है। लेकिन साथ-2 हुडा विभाग को 1.5 एकड साईट Available हो सके तो देख लिये जाने बारे भी लिखा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के सन्दर्भ में श्री डी सुरेश, भा0प्रा0से0, मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला ने सुनवाई करते हुए दिनांक 14.05.2019 को अपने Speaking Order पारित किये कि The factual matrix of the case leads to the conclusion that the HSVP has been acting arbitrarily by not handing over the possession of allotted 1.5 acres of site as per applicable norms and dragging the petitioner to the court of law. Hence, in the interests of justice, the request of the petitioner for offering possession of 1.5 Acres of site is accepted. The DTP, Gurugram vide report dated 09-02-2019 informed that a site measuring 1.5 acre has been carved out from the site earmarked for public building in sector 55-56 Gurugram. It has been further reported that the remaining area has been kept as such for a public building which can be palnned for speciific use at a later stage. Therefore, in view of the above, Aministrator, Gurugram is directed to issue regular letter of allotment in favour of the petitioner’s society and to offer the possession of the newly curved out plot measuring 1.5 acre. साथ ही इन आदेशो की पालना करवाने के लिये इनकी एक प्रति सम्पदा अधिकारी-2 व प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरूग्राम को सूचनार्थ व आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी गई। तत्कालीन प्रशासक, एच.एस.वी.पी. गुरूग्राम द्वारा उक्त आदेशो के सम्बंध में अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 6321 दिनांक 23.05.2019 के अनुसार सम्पदा अधिकारी-2 गुरूग्राम से विवादित साईट की असल फाईल प्रस्तुत करने बारे निर्देशित किया गया है। श्री मुकेश कुमार सोलंकी, एचसीएस, तत्कालीन सम्पदा अधिकारी-2, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरूग्राम ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारी श्री बलराज लेखाकार, श्री जगमोहन गुप्ता, तत्कालीन लेखा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सम्पदा अधिकारी कार्यालय -2, गुरूग्राम अलाँटमैन्ट पत्र क्रमांक Zo002/E0018/UE029/GALOT/00444 Dated 18-07-2019 issued in favour of The Principal, new Spring Dale School, R/o 842/18 Shanti Nagar Gurugam Haryana जिसमें स्कूल साईट का क्षेत्रफल 6068.64 sqr. Metr. मुबलिग 2,11,138.50/- रूपये (दो लाख ग्यारह हजार एक सौ अडतीस रूपये पच्चास पैसे) दर्शाया गया है। सम्पदा अधिकारी-2, एचएसवीपी गुरूग्राम ने पत्र क्रमांक 4844 दिनांक 22.07.2019 को मुख्य प्रशासक, एचएसवीपी पंचकुला को जारी किया जिसमें लिखा कि It is intimated that as per Speaking Order dated 14-05-2019 conveyed letter given under reference, regular allotment letter for the allotment of Primary School Site measuring 1.5 Acre Sector 56 Gurugram has been issued in favour of New Spring Dale Public School on 18-07-2019. But possession of site is not given due to approval of zoning plan not received from HQ.

तत्कालीन प्रशासक, ह0श0वि0प्रा0, गुरूग्राम द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 6321 दिनांक 23.05.2019 द्वारा सम्पदा अधिकारी-2, गुरूग्राम को विवादित साईट की असल फाईल प्रस्तुत करने बारे निर्देशित किया, मुख्य प्रशासक, ह0श0वि0प्रा0 पंचकुला ने अपने कार्यालय की ई-मेल के माध्यम से सम्पदा अधिकारी-2 गुरूग्राम को दिनांक 10.06.2019 को निर्देश दिये गये कि “It is hereby directed to issue regular allotment and give the Physical possession of the said land with in 7 days to the petitioner under intimation to the Hq.”

इसके उपरान्त जिला नगर योजनाकर गुरूग्राम ने दिनांक 27.06.2019 को प्रशासक, ह0श0वि0प्रा0, गुरूग्राम को सुचित किया है कि सम्पदा अधिकारी-2 गुरूग्राम के पत्र क्रमांक 3738 दिनांक 21.06.2019 के अनुसार सम्पदा अधिकारी कार्यालय-2 गुरूग्राम द्वारा सप्लाई की गई Dimention के आधार पर जोनल प्लान प्राईमरी स्कूल ड्राईग न0 DTP (G/2404/2019 दिनांक 26.06.2019 तैयार किया जा चुका है और यह प्रपोजल आगे भेजा जा चुका है। जो अभी तक सक्षम अथोर्टी द्वारा पास नही किया गया है। इसके उपरान्त सम्पदा अधिकारी-2 गुरूग्राम ने दिनांक 13.07.2019 को मुख्य प्रशासक, ह0श0वि0प्रा0 पंचकुला को मेल करते हुये उक्त साईट का अलाटमैन्ट जारी करने के सम्बंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगे। जिस पर मुख्य प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला द्वारा ई-मेल दिनांक 16.07.2019 के अनुसार सम्पदा अधिकारी-2 गुरूग्राम को निर्देश दिये गये कि “It is clarified that the regular allotment letter/offer of possession in the favour fo pettioner’s society is to be issued by the Estate officer-2, HSVP Gurugram.” जिसकी पालना में श्री मुकेश कुमार सोलंकी एचसीएस, तत्कालीन सम्पदा अधिकारी-2, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम द्वारा अलाँटमैन्ट पत्र क्रमांक Zo002/E0018/UE029/GALOT/00444 Dated 18-07-2019 issued in favour of The Principal, new Spring Dale School, R/o 842/18 Shanti Nagar Gurugram Haryana जिसमें स्कूल साईट का क्षेत्रफल 6068.64 sqr metr. मुबलिग 2,11,138.50/रूपये (दो लाख ग्यारह हजार एक सौ अडतीस रूपये पच्चास पैसे) दर्शाया गया है। उपरोक्त अलाटमैन्ट लैटर के पहरा न0 36 में स्पष्ट तौर पर अंकित किया गया है कि “The transfer of plot shall not be allowed under any circumstances” जबकि वर्ष 1993 में भी उपरोक्त स्थल के सम्बंध में इसी प्रकार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सम्बंधित स्थल के सम्बंध में जारी शुदा अलाँटमैन्ट पत्र न0 10233/291 दिनांक 23.11.1993 में अंकित की गई शर्तो के अनुसार काँलम 03 के उप-भाग (iii) में स्पष्ट दर्शाया गया था कि “ The ransfer of plot sale not be allowed under any circumstances” जो की ओरिजनल अलाँटी श्रीमति विना मलिक 36 नवजीवन विहार नई दिल्ली के नाम से जारी किया गया था। लिहाजा उपरोक्त वर्ष 2019 के अलाँटमैन्ट पत्र पर बतौर एकाउंटटैन्ट बलराज व एकाउंटटैन्ट श्री जगमोहन गुप्ता व श्री मुकेश कुमार सोलंकी के सम्बंध में सम्बंधित प्राप्त शुदा नोटिंग दस्तावेजों के अध्ययन से भी पाया गया कि उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारियो के हस्ताक्षर करके आदेश से सम्बंधित नोटिंग तैयार करना पाया गया है एंव उपरोक्त अलाटमैन्ट पत्र के सम्बंध में सम्बंधित प्राप्त शुदा नोटिंग/दस्तावेजो के अध्ययन से पाया गया है कि उपरोक्त अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा हस्ताक्षर करके आदेश से सम्बंधित नोटिंग तैयार करना पाया गया है। सम्पदा अधिकारी’-2, एचएसवीपी गुरूग्राम ने पत्र क्रमांक 4844 दिनांक 22.07.2019 को मुख्य प्रशासक, एचएसवीपी, पंचकुला को जारी किया जिसमें लिखा कि It is intimated that as per Speaking Order dated 14-05-2019 conveyed letter given under reference, regular allotment letter for the allotment of Primary School Site measuring 1.5 Acre Sector-56 Gurugram has been issued in favour of New Spring DalePublic School on 18-07-2019. But possession of site is not given due to approval of zoning plan not received from HQ.

जांच की पडताल के दौरान कार्यालय सम्पदा अधिकारी-2 गुरूग्राम व कार्यालय नगर योजनाकार, गुरूग्राम से प्राप्त शुदा रिकार्ड के अध्ययन से पाया गया कि वर्ष 1994 एंव 2019 सम्बंधित उपरोक्त सोसायटी के पक्ष मे जारी अलाँटमैन्ट पत्रो में एचएसवीपी विभाग द्वारा जारी किये गये सम्बंधित स्थल एक दूसरे से भिन्न पाये गये है। इसके अतिरिक्त सम्बंधित स्थल के सम्बंध में सर्कल रेट निर्धारित करने से सम्बंधित प्राप्त शुदा रिकार्ड के अध्ययन से पाया गया कि वर्ष 2019-20 में तहसील वजीराबाद (सम्बंधित स्थल) के सर्कल रेट मु0 28,000/-रूपये प्रति Sq. Yard है।

जांच की पडताल के दौरान सम्पदा अधिकारी कार्यालय-2 गुरूग्राम से New Spring Dale Public School Site के सम्बंध में कितनी राशी

जमा होने बारे रिकार्ड प्राप्त किया गया जो रिकार्ड अनुसार साईट की कुल कीमत 2,11,138.00 थी, जो अलॉटमैन्ट दिनांक 10.01.1994 के बाद दिनांक 08.02.1994 को 52,785/- व दिनांक 13.01.2016 को 6,50,000/- रूपये जमा किये गये है। उपरोक्त साईट के सम्बंध में श्री डी सुरेश कुमार, भा0प्रा0से0 द्वारा दिनांक 14.05.2019 को Speaking Order पारित किये थे जो सम्पदा अधिकारी कार्यालय-2 गुरूग्राम के रिकार्ड अनुसार Speacking Order दिनांक 14.05.2019 के बाद श्री A.K Singh, IAS PSTCP ने दिनांक 25.01.2021 को आदेश पारित कि "Keeping in view the facts that the counsel for New Springdale Public School has moved an application the Hon'ble High Court with the prayer that the proceedings under Section 30 (2) of HSVP Act, 1977 be stayed and the same is pending, the present Revision Petition is adjourned sine die. The outcome of the hearing on 27-01-2021 be intimated on file immediately. A copy of order may be supplied to all concerned through email/dsti".

श्री डी सुरेश कुमार भा0प्रा0से0, तत्कालीन मुख्य प्रशासक हुडा पंचकुला, मुकेश कुमार सोलंकी एच.सी.एस तत्कालीन सम्पदा अधिकारी-2 हुडा गुरूग्राम, श्री बलराज सिह तत्कालीन लेखाकार कार्यालय सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम व श्री जगमोहन गुप्ता तत्कालीन लेखा अधिकारी, ह0श0वि0प्रा0 सम्पदा अधिकारी-2 कार्यालय गुरूग्राम के विरूद् अन्तिम जांच रिपोर्ट मे विभागीय कार्यवाही किये जाने का जांच अधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया है।

श्री संजय दलाल ने New Spring Dale Public School सोसायटी में पुराने सदस्यो के फर्जी हस्ताक्षर करके गलत तरीके से कागजात तैयार करके फर्जी सचिव के पद के अधिकार से सम्बंधित अधिकारी/आयोग/माननीय न्यायालय में गलत तथ्य पेश करके गुमराह करके New Spring Dale Public School के नाम अलॉटमैन्ट पत्र जारी करवा लिया। जबकि स्थल की असल अलाटी श्रीमति वीना मलिक द्वारा स्वंय के कथन/शपथ पत्र में स्पष्ट अंकित कराया गया है कि उसके द्वारा श्री संजय दलाल, श्री वशिष्ट कुमार गोयल, सीमा गोयल वगैरा को सोसायटी में सदस्य के रूप में कभी नियुक्त नही किया। नियुक्ति एंव त्याग पत्र से सम्बंधित कागजात पर उसके फर्जी हस्ताक्षर होना ब्यान किया है। श्री वशिष्ट कुमार गोयल, President, New Spring Dale Public School निवासी म0न0 842/18 शान्ति नगर गुरूग्राम द्वारा वर्ष 2006 से 2019 तक उपरोक्त सोसायटी की मिनट बुक में पुराने सदस्य के त्याग पत्र एंव मिनट बुक को समय-2 पर मिनट बुक में दर्ज की गई गोष्ठी पर पुराने सदस्यो के फर्जी हस्ताक्षर करके व इसी अवधी के दौरान सम्बंधित अधिकारी/आयोग एंव माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गलत तथ्यो को प्रस्तुत करके उपरोक्त सोसायटी का मालिकाना हक अपने पक्ष में करवा लिया।

श्रीमति सीमा गोयल ने New Spring Dale Public School सोसायटी में पुराने सदस्यो के फर्जी हस्ताक्षर करके गलत तरीके से कागजात तैयार करके फर्जी सचिव के पद के अधिकार से सम्बंधित अधिकारी/आयोग/माननीय न्यायालय में गलत तथ्य पेश करके गुमराह करके New Spring Dale Public School के नाम अलॉटमैन्ट पत्र जारी करवा लिया। जबकि स्थल की असल अलाटी श्रीमति वीना मलिक द्वारा स्वंय के कथन/शपथ पत्र में स्पष्ट अंकित कराया गया है कि उसके द्वारा श्री संजय दलाल, श्री वशिष्ट कुमार गोयल, सीमा गोयल वगैरा को सोसायटी में सदस्य के रूप में कभी नियुक्त नही किया। नियुक्ति एंव त्याग पत्र से सम्बंधित कागजात पर उसके फर्जी हस्ताक्षर होना ब्यान किया है।

श्री अमित कुमार पुत्र श्री वशिष्ट गोयल म0न0 842/18 शान्ति नगर गुरूग्राम ने अपने पिता श्री वशिष्ट कुमार गोयल व अपनी माता सीमा गोयल के साथ मिलीभगत करके गैर कानूनी तरीके से अपने नैनिताल बैंक गुरूग्राम के खाता संख्या 0512000000005060 से ड्राफट संख्या 010257 दिनांक 13.01.2016 के अनुसार 6,50,000/-रूपये का New Spring Dale School के पक्ष में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण गुरूग्राम को जमा कराया है जबकि उपरोक्त सदस्य New Spring Dale School के न तो निदेशक, न प्रार्धानाचार्य व न ही कमेटी के सदस्य थे।

अतः श्री संजय दलाल, श्री वशिष्ट कुमार गोयल, श्रीमति सीमा गोयल व श्री अमित कुमार उपरोक्त के विरूद् धारा 420,467,468,471 व 120बी भा.द.स. के अन्तर्गत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया है। अनुसंधान के दौरान किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य कर्मचारी/अधिकारी की मिलीभगत पाई जाये तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया है। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 07/20/2019-4 चौ:(2) दिनांक 11.11.2022 व श्रीमान महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला के पृष्ट क्रमांक 17907/गुप्त शाखा/रा0चौ0ब्यूरो0 (ह0) दिनांक 11.11.2022 के अनुसार श्री संजय दलाल निवासी 32/27, ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली, श्रीमति सीमा गोयल General Secretary, new Spring Dale Public School, निवासी म0 न0 842/18, शान्ति नगर गुडगावा, श्री वशिष्ट गोयल President, New Spring Dale School निवासी म0न0 842/188, शान्ति नगर गुडगावा व श्री अमित कुमार Treasure, New Spring Dale Public School निवासी म0न0 842/18 शिवाजी नगर गुडगावा के खिलाफ धारा 420,467,468,471 व 120बी भा.द.स. के तहत अभियोग दर्ज करने के आदेश दिये गये है इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5736 दिनांक 24.11.2022 के अनुसार पुलिस महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला को तहरीर अनुमोदन हेतू ई-मेल के माध्यम से भेजी गई थी जिस पर महानिदेशक राज्य चैकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के कार्यालय क्रमांक 18587/गुप्त/रा0चौ0ब्यूरो0(ह0) दिनांक 24.11.2022 के अनुसार ई-मेल के माध्यम से तहरीर अनुमोदित होकर प्राप्त हुई है। उपरोक्त आरोपीयान के खिलाफ उपरोक्त धाराओ के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिये लेख तैयार करके मुख्य सिपाही राजीव कुमार न0 2771/गुरुग्राम के माध्यम से भेजी जा रही है। अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सुचित किया जावे । PANKHURI ADD.SP, SVB, GGM , 28/11/22 TIME:- 8:00 AM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो FIR की प्रतिया बजरिया डाक ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश ASP पंखुरी रा0 चौ0 ब्यूरो गुरुग्राम के पास भेजी जावेगी । आरिन्दा मु0 सि0 राजीव कुमार न0 2771/गुरुग्राम के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** PANKHURI KUMAR

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Rank (पद): ACP (Assistant Commissioner of Police)

No. (सं.): HPS **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1975				**Is pox pitted:** Yes
2	Female	01/01/1970				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	01/01/1968				**Is pox pitted:** Yes
4	Male	01/01/1979				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)